जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu

राया–सूचानी ;बागला, जिला सांबा–181143 जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
Rahya- Suchani (Bagla), District Samba-181143 Jammu (J &K)
Ph. No. 01923-249658; Website: www.cujammu.ac.in

रोजगार अधिसूचना संख्या 19

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए रोजगार अधिसूचना

विभिन्न शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र योग्य अभ्यर्थियों से जो विश्वविद्यायल की बेवसाइट www.cujammu.ac.in पर उपलब्ध हैं, आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

डाउनलोड किए हुए आवेदन प्रपत्र, को पूर्ण रूप से भर कर रुपये 500 के डिमांड ड्राफ्ट (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य रूप से सक्षम श्रेणी को छोड़कर) किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो कि **वित्त अधिकारी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय** देय जम्मू हो को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **उपकुलसचिव (प्रशासन), जम्मू केंद्रीय विश्वदि्यालय राया-सुचानी (बागला), जिला सांबा, जम्मू और कश्मीर**- 181143 **दिनांक 17 अप्रैल, 2017** को **सायं 05.30** तक पहुँचने चाहिए।

अधिक जानकारी जैसे की योग्यता, पदों की संख्या, श्रेणी अनुसार आरक्षण (अ.जा/अ.ज.जा/ ओबीसी/पीडब्लूडी) तथा नियम एवं शर्तों के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cujammu.ac.in पर जाएँ।

विज्ञापित पदों में से किसी भी पद को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

इकबाल
प्रभारी कुलसचिव

No. CUJ/Admin/10-12/ (Advt. Rect.) /2017/225
Dated: 10th March, 2017

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया–सूचानी ;बागला, जिला सांबा–181143 जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
Rahya- Suchani (Bagla), District Samba-181143 Jammu (J &K)
Ph. No. 01923-249658; Website: www.cujammu.ac.in

शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए रोजगार अधिसूचना

रोजगार अधिसूचना संख्या -19

निर्धारित प्रपत्र, पर योग्य अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय में नियुक्ति हेतु निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो इस कार्यालय में **17 अप्रैल, 2017** तक केवल **पंजीकृत/स्पीड पोस्ट माध्यम** से पहुंचने चाहिए:

क्रमः संख्या	पद का नाम	पे बैंड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	**वित्त अधिकारी** (अवधि पद : 3 वर्ष)	रु. 37400-67000 + जीपी रु. 10,000/-	01–यूआर
2.	**परीक्षा नियंत्रक** (अवधि पद : 5 वर्ष)	रु. 37400-67000 + जीपी रु. 10,000/-	01–यूआर
3.	**आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी**	रु. 15600-39100 + जीपी रु. 7600/-	01–(पीडब्लूडी) ओएच
4.	**अधिशासी अभियंता**	रु. 15600-39100 + जीपी रु. 6600/-	01–यूआर
5.	**निजी सचिव**	रु. 9300-34800 + जीपी रु. 4600/-	01–(पीडब्लूडी) ओएच

नोट: यूआर-सामान्य, ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग, एस सी- अनुसूचित जाति, एस टी- अनुसूचित जनजाति, पीडब्लूडी-अन्य रूप से सक्षम

विज्ञापित पदों में से किसी भी पद को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

1. **वित्त अधिकारी** (पे.बैंड–रु. 37400–67000 + जीपी रु. 10,000/–)
   (अवधि पद : तीन वर्ष)
   आयुः 57 साल से कम को प्राथमिक्ता

आवश्यक योग्यता एवं/और अनुभवः

i.) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा इसके समकक्ष यूजीसी सात सूत्री पैमाने में 'बी' श्रेणी प्राप्त की हो।

ii.) सहायक आचार्य के रूप में रु 7000/– एजीपी एवं उससे अधिक में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव अथवा रु. 8000/– के एजीपी में आठ वर्षों तक सहआचार्य के साथ शैक्षिक प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया हो।

अथवा

शोध स्थापना एवं/अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान में समतुल्य अनुभव।

अथवा

15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव उपकुलसचिव अथवा समकक्ष पद का हो।

वांछनीय: व्यवसाय प्रशासन (वित्त)/कामर्स अथवा सीए/आईसीडब्लूए उत्तीर्ण की योग्यता रखने वाले व्यक्ति।

2. **परीक्षा नियंत्रक** (पे.बैंड-रु. 37400-67000 + जीपी रु. 10,000/-)
(अवधि पद : पांच वर्ष)
आयु: 57 से कम को प्राथमिकता

आवश्यक योग्यता एवं/और अनुभव:

i.) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि और इसके समकक्ष यूजीसी सात सूत्री पैमाने में 'बी' श्रेणी प्राप्त की हो।

ii.) सहायक आचार्य के रूप में एजीपी रु. 7000/- एवं उससे अधिक में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव अथवा रु. 8000/- के एजीपी में आठ वर्षों तक सहआचार्य के साथ शैक्षणिक प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया हो।

अथवा

शोध स्थापना एवं/अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान में समतुल्य अनुभव।

अथवा

15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव उपकुलसचिव अथवा समकक्ष पद पर हो।

वांछनीय: विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान अथवा अन्य समतुल्य परीक्षाओं को आयोजित करने का अनुभव।

3. **आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी** (पे.बैंड-रु. 15600-39100 + जीपी रु. 7600)
(प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति)
आयु: 45 वर्ष से कम को प्राथमिक्ता

आवश्यक योग्यता एवं/और अनुभव:

लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा से संबंधित अधिकारी अथवा अन्य केंद्र/राज्य सरकार के संगठन में नियमित आधार पर समान सेवाएँ।

अथवा

पे.बैंड 3(रु.15300-39100+जीपी रु. 6600/-) पर तीन वर्ष की नियमित सेवा।

अथवा

पे.बैंड 3(रु. 15300-39100+जीपी रु. 5400/-) पर पांच वर्ष की नियमित सेवा।

उमाकांत

4. **अधिशासी अभियंता** (पे.बैंड-रु. 15600-39100 + जीपी रु. 6600)
आयु: 50 वर्ष से कम को प्राथमिक्ता

आवश्यक:

i.) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समतुल्य से अभियांत्रिकी (सिविल) में स्नातक की उपाधि।

ii.) सहायक अभियंता सीपीडब्लूडी/राज्य सरकार पीडब्लूडी सेवा अथवा समतुल्य संगठन सेवाएँ/ सेमी सरकार/ पीएसयू/अधिशासी अथवा स्वायत्त संस्थान/विश्वविद्यालय प्रक्रिया/प्रतिष्ठित निजी संगठन में आठ साल का अनुभव।

निर्माण प्रबंधन/ संरचनात्मक अभियांतरिकी अथवा समकक्ष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त को दो वर्ष के अनुभव में छूट प्रदान की जाएगी।

वांछनीय:

i.) सीपीडब्लूडी/पीडब्लूडी/ के मानको के आधार पर बहुस्तरीय इमारत निर्माण परियोजना में अनुभव एवं योजना/आकलन। सीपीडब्लूडी नियम के आधार पर निविदा, निर्माण/आकलन की जाँच, चित्र, संरचनात्मक ब्यौरा, तादाद में बिल, प्रतिस्थापन करना/व्यतिक्रम मद विवरण तथा अन्य भवन एवं निर्माण से संबंधित अन्य मुद्दों का अच्छा ज्ञान।

ii.) कंप्यूटर एडीड डिज़ाइन (सीएडी) एवं नवीनतम प्रबंधन तकनीक/ अन्य संबंधित साफ्टवेयर का ज्ञान।

5. **निजी सचिव** (पे.बैंड -रु 9300-34800 + जीपी रु.4600)
आयु: 35 वर्ष से कम को प्राथमिक्ता
आवश्यक:

i.) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि

ii.) अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आशुलिपि में प्रवीणता।

iii.) अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 35/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण में प्रवीणता।

iv.) कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।

v.) निजी सहायक के रूप में केंद्र/राज्य सरकार, विश्वविद्यालय/ शोध संस्थान अथवा स्वायत संस्थान में तीन वर्ष का अनुभव।

<u>अन्य शर्तें</u>

1. पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचित किसी भी परिसर में सेवा देनी होगी।
2. एससी/एसटी/पीडब्लूडी अभ्यर्थियों को योग्यता में छूट, भारत सरकार/यूजीसी नियम के आधार पर आधारित योग्यता अंक बिना किसी अनुग्रह अंक प्रक्रियाओं के अर्हक अंक पर प्रदान की जा सकती है।
3. अभ्यर्थी के द्वारा एम.फिल. एवं/अथवा पी.एचडी. की उपाधि की रेजिडेंसी अवधि शिक्षण/अनुसंधान अनुभव के रूप में गणना नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी को रेजिडेंसी अवधि के संबंध में जानकारियाँ अपने आवेदन प्रपत्र में देनी होंगी।

इकबाल

4.

(i) अभ्यर्थियों को आरक्षण एससी/एसटी/ओवीसी/अन्य रूप से सक्षम भारत सरकार/यूपीसी के नियमानुसार दिया जाएगा।

(ii) अन्य रूप से सक्षम अभ्यर्थी के लिए आरक्षित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह जानकारी देनी होगी कि वह अ.जा/अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग अथवा सामान्य वर्ग, जिससे भी संबंधित हो को दर्शाना होगा।

(iii) 40% से अधिक अशक्तता वाले संबंधित व्यक्ति मात्र ही अन्य रूप से सक्षम श्रेणी के लाभ के अंतर्गत योग्य होंगे।

5. अ.जा./अनु.ज.जाति/अन्य रूप से सक्षम श्रेणी में आरक्षण की प्रार्थना करने वाले अभ्यर्थियों को भारत सरकार के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसडीवीसी) के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत तभी विचार किया जाएगा यदि वह संलग्न निर्धारित आवश्यक प्रमाण प्रपत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें आवेदन प्रपत्र में भी घोषणा करनी होगी।

6. आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति अनंतिम होगी एवं प्रमाण पत्र की उचित माध्यम से सत्यापिता पर आधारित होगी। यदि सत्यापन के दौरान पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा किसी श्रेणी में किया गया दावा झूठा है, उसका/उसकी सेवा तत्काल बिना कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी और ऐसे कृत्य के लिए बिना पूर्वग्रह के भारतीय दंड संहिता/रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

7. पद के अधीन नियुक्त व्यक्ति को अध्यादेश/अधिनियम/विनियम/सेवा की स्थिति को शाशित करने के लिए आवश्यक नियम/समय-समय पर संशोधित नियुक्ति नियम एवं विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद एवं भारत सरकार/यूजीसी के द्वारा समय-समय पर अपनाए गये नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

8. नये नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन का विषय होगी। जब तक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, नियुक्ति अनंतिम मानी जाएगी, जिसे नियुक्ति पत्र में भी साफ रूप से दर्शाया जाएगा। यदि उसके/उसकी आचरण, चरित्र, पूर्ववृत आदि के संबंध में पुलिस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती, अंनतिम नियुक्ति को तत्काल बिना सूचना के प्रत्यहरण/निरस्त/समाप्त किया जाएगा।

9. जिन अभ्यर्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्रदान की गई है को भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा जारी "समकक्ष प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।

10. चयनित अभ्यर्थियों को लिखित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

11. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति यूजीसी विनियम समय-समय पर संशोधित/विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

12. सेवानिवृति की आयु सभी पदों के लिए यूजीसी/भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

13. अभ्यर्थी जो पहले से ही सेवा में है को नियोक्ता अथवा उसके अधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता निकासी रिपोर्ट को भी साक्षात्कार परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

14. पहले से ही सेवारत अभ्यर्थी अपना आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित करें। हालांकि वह अपने आवेदन की अग्रिम प्रति अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित कर सकते हैं एवं उन्हें अपने नियोक्ता से साक्षात्कार/परीक्षा के समय ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर पर उन्हें साक्षातकार में भाग लेना/अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

15. सेवारत कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति चाहते हों आवेदन कर सकते हैं।

16. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन नियोक्ता द्वारा वांछित अवधि के लिए सी आर डोसियर सहित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कर उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाए।

इकबाल

17. 7 बिंदु पैमाने पर (ग्रेड O,A,B,C,D,E एवं F) B को 55% के बराबर दर्ज किया जाएगा जहाँ ग्रेडिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है।

18. यह अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व है कि वह आवेदन पद के संबंध में निर्धारित अपनी योग्यता, अनुभव आदि का मूल्यांकन करे एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन वांछित जानकारी दस्तावेजों एवं विज्ञापन के अनुसार अन्य सहायक समाग्री के साथ प्रस्तुत करें। तथ्यात्मक जानकारी का अतिलंघन अथवा अभ्यर्थी द्वारा अन्य अवांछित कार्य अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को निरस्त कर सकता है। यदि भविष्य में किसी भी समय चाहे उसकी नियुक्ति के बाद भी यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता, अनुभव के अनुसार पात्र नहीं है जो कि किसी भी परिस्थिति में साक्षातकार के समय नहीं पता नहीं लग सका हो उसका/उसकी नियुक्ति इस खंड के अनुसार तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

19. सामान्य नियुक्ति नियमों में अस्पष्टता एवं किसी भी पद की योग्यता के संबंध में कार्यकारणी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

20. चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। विश्वविद्यालय अमूमन गैर कार्य समय/छुट्टियों के दौरान किसी भी समय, स्थिति के अनुसार, किसी भी कर्तव्य को प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है जिसे कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए बिना असफल हुए करना है।

21. चयनित अभ्यर्थी को 01.01.2004 को लागू भारत सरकार की "राष्ट्रीय पेंशन योजना" (जो कि पहले नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) के अंतर्गत शाशित किया जाएगा।

22. सेवाकालीन अभ्यर्थियों चयनित उम्मीदवारों सहित को विश्वविद्यालय अधिनियम/संविधि/ अध्यादेश/विनियम/नियम एवं भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित एवं सीसीए(सीसीएस) विनयम 1965 नियम/विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विशेष रूप से कर्मचारी के आचरण को बनाए रखने के लिए बनाए गये नियमों के द्वारा शाशित किया जाएगा।

23. अभ्यर्थी को उसकी आयु, योग्यता, अनुभव एवं जाति आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों को साक्षातकार/परीक्षा के समय मूल रूप में लाना होगा। यदि आवेदक के आवदेन के साथ सलग्न सत्यापित फोटो प्रति की जाँच के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता/रहती है उसे साक्षात्कार/परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा एवं इस संबंध में उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी संपर्क के समाप्त कर दिया जाएगा।

24.
   (i) किसी भी कारण से विज्ञापित पद को भरने अथवा न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय का है। यदि किसी भी कारण से नियुक्ति के बाद कोई पद खाली रह जाता है, उस पद को पद के पैनल में से चयन समिति के आयोजन से एक साल के भीतर भरा जा सकता है।
   (ii) विश्वविद्यालय किसी भी समय कारण बताए बिना विज्ञापन को या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह वापिस लेने के अधिकार को सुरक्षित रखता है।
   (iii) विज्ञापित पदों की संख्या अस्थायी है। विश्वविद्यालय अधिकार को सुरक्षित रखता है कि वह चयन के समय पदों की संख्या में वृद्धि/कमी कर नियुक्ति करे।
   (iv) विश्वविद्यालय बिना कारण बनाए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

26. किसी भी प्रकार का पक्षचार, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकता है।

27. आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के निरस्त कर दिया जाएगा। चैक को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सामान्य अनुदेश

1. साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए. डी.ए. नहीं दिया जाएगा। हलांकि अनु. जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों को रेलवे/बस द्वितीय श्रेणी के समकक्ष किराया नियुन्तम दूरी का टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।
2. आवेदन पत्र जिनके साथ स्वंय सत्यापित डिग्री/प्रमाण पत्र/ अंक पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र/ श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये साफ फोटोप्रति न हो एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों को रद्द किया जाएगा।
3. आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को अवकाश की घोषण की जाती है तो ऐसे मामले मे अगले कार्य दिवस को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समझा जाएगा।
4. यदि आवेदन प्रपत्र में दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो जानकारी एक अन्य पृष्ठ पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी जा सकती है एवं उसे आवेदन पत्र के साथ सुरक्षित कर जोड़ा जा सकता है।
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन प्रपत्र के साथ सलग्नकों की सूची को हस्ताक्षर कर संलग्न करें।
6. अभ्यर्थी की योग्यता आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
7. डाक देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
8. आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेजों के बिना, स्वंय प्रति उपाधि प्रमाण पत्र/अंक पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया श्रेणी प्रमाण पत्र की सत्यापित साफ फोटो प्रति संलग्न न किया गया हो एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों को रद्द किया जाएगा।
9. डाक पते में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की स्थिति में सूचना एक बार विश्वविद्यालय को आवश्य करें।
10. निर्धारित योग्यता एवं अनुभव न्यूनतम है अत: इस आधार पर अभ्यर्थी साक्षात्कार/परीक्षा में भाग लेने का दावेदार नहीं होता।
11. किसी विवाद की स्थिति में, कोई मुक्दमा अथवा कानूनी कारवाई विश्वविद्यालय के द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के विरूद्ध, जहाँ विश्वविद्यालय का मुख्यालय है के क्षेत्र के न्यायालय में होगा।।
12. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य रूप से सक्षम अभ्यर्थियों को आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
13. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि उसके प्रभाव के लिए आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अनुसुचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों को छोड़कर अपेक्षित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वह साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को न्यूनतम निर्धारित योग्यता अथवा अन्य मान्दंड जो सही हो को उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अल्पसूचीकरण करे।
15. आवेदन प्रपत्र (i) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होता है अथवा (ii) किसी भी प्रकार से अधूरा अथवा (iii) अन्य कोई नया दस्तावेज/अनुलग्नक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
16. भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा।
17. अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण में यदि कोई संशय होता है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

18. लिफाफे पर उपरोक्त ______________ पद के लिए आवेदन लिखा जाए।

आवेदन कैसे करें

संपूर्ण योग्यता विवरण एवं निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cujammu.ac.in पर उपलब्ध है। डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र, योग्यता एवं मानदंडों एवं आवेदन पत्र, पूर्ण रूप से भरे हुए एवं किसी राष्ट्रीय बैंक/ अनुसूचित बैंक से रुपये 500 का डिमांड ड्राफ्ट के, वित्त अधिकारी जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देय जम्मू (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य रूप से सक्षम अभियार्थियों को छोड़कर) उपकुलसचिव, (प्रशासन) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, राया-सुचानी (बागला) जिला सांबा, 181143 जम्मू (जम्मू और कश्मीर) को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से दिनांक 17 अप्रैल, 2017 तक पंहुच जाने चाहिए। जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका विज्ञापन संख्या एवं दिनांक संख्या लिफाफे के बांई और लिखा जाए। डाक देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.cujammu.ac.in को भविष्य के संदर्भो के लिए देखते रहें।

उकवाल
प्रभारी कुलसचिव

No. CUJ/Adm/10-12/(Advt. Rect.) /2017/225
Date: 10th March, 2017

संलग्नः

1) आवेदन प्रपत्र
2) जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
3) अक्षमता प्रमाणपत्र
4) जांच सूचि

जानकारी के लिए प्रति अग्रेषित : (सूचना पट्ट पर दर्शाने हेतु):

1) सचिव, मानवसंसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
3) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए आई यू हाऊस 16, कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग नई दिल्ली -110002
4) संयुक्तसचिव (सीयू), यूजीसी, नई दिल्ली 110002
5) आयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, जम्मू कश्मीर सरकार, सिवल सचिवालय, श्रीनगर
6) सभी केंद्रीय विश्वविद्यालों के कुलसचिव को प्रचार के लिए
7) निर्देशक सूचना, जम्मू कश्मीर, पंजतीर्थी, जम्मू